न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 68/2017
(नया रा.प्रा.पत्र सं. 67/2019)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही		श्रीमति उषा पारीक पत्नि शिवकुमार पारीक जाति ब्राहाण निवासी 48 शत्रुंन्जय दर्शन कॉलोनी शान्तिनगर सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी स्टेट तहसीलदार, सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिरोही)
2– अप्रार्थीयॉ की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह आढा

राजस्व प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वास्ते कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु उपयोग करने बाबत।

निर्णय दिनांक 26–11–2020

प्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व अप्राथीयॉ का वास्ते कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु उपयोग करने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 20–2–2017 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि मौजा खाम्बल तहसील सिरोही के जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता नंबर 23 की भूमि निम्नानुसार आई हुई है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर मे)	किस्म भूमि
1–	श्रीमति उषा पारीक पत्नि शिवकुमार पारीक जाति ब्राहाण निवासी 48 शत्रुंन्जय दर्शन कॉलोनी शान्तिनगर सिरोही	91	0.7500	बंजर

उक्त भूमि मे से 0.4000 हेक्टेयर भूमि पर क्रेशर की कंकरीट आदि का भण्डारण किया गया है जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस मे लाल रंग से बताया गया है। अप्रार्थीया ने खसरा नंबर 91 कुल रकबा 0.7500 हेक्टेयर मेसे 0.4000 हेक्टेयर भूमि पर क्रेशर की कंकरीट आदि का भण्डारण कर उक्त कृषि भूमि का गैर कृषिक उपयोग कर अप्रार्थीया द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघन किया गया है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी[illegible] नंबर 91 कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर मे से 0.4000 हैक्टेयर कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण [illegible] कृषि उपयोग कर अप्रार्थीया द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघन [illegible] गया है। अतः उक्त आराजी सरकार के खाते मे दर्ज करने के आदेश प्रसारित [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] न नक्शा ट्रेस किश्तवार जमाबंदी संवत 2070 से [illegible] खसरा नंबर 91 रकबा [illegible] हैक्टेयर किस्म बंजर की मौका फर्द दिनांक 18–1–2017 मूल, जमाबंदी नकल, नक्शा ट्रेस प्रतियो का गहनतापूर्वक

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

अवलोकन कर उस पर मनन किया तो यह न्यायालय इस प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 20–2–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीया को जवाब पेश करने हेतु नोटिस दिनांक 20–2–2017 को जारी किया गया। विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 27–3–2017 को अप्रार्थीयॉ का नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये ।

इस न्यायालय मे दिनांक 11–9–2017 को सुनवाई पेशी के दिन अप्रार्थीयॉ को जारी नोटिस आसामी के मकान पर चस्पा होकर प्राप्त होने से शा.मि. किया गया। अप्रार्थीया को नोटिस तामिल होने के बावजूद निरन्तर सुनवाई के दौरान न्यायालय मे हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थीया के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने के आदेश दिये गये थे। विचारण प्रकरण वास्ते एक पक्षीय प्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस मे न्यायालय मे दिनांक 19–12–2017 को रखा गया।

इस न्यायालय मे दिनांक 19–12–2017 को विचारण प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 आर.टी.एक्ट 1955 पर प्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिरोही) ने न्यायालय मे हाजिर होकर एक तरफा अंतिम बहस करने से एक तरफा अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन करने तथा विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन के के उपरान्त सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के बाद इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिनांक 22–12–2017 को पारित निर्णय अनुसार यह सिद्व होता है कि प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि मौजा खाम्बल के खसरा नंबर 91 रकबा 0.7500 हेक्टेयर किस्म बंजर मेसे 0.40 हेक्टेयर का बिना रूपान्तरण करवाये अकृषि उपयोग क्रेशर की कंकरीट आदि का भण्डारण किया जा रहा है इस प्रकार अप्रार्थीया का उक्त कृत्य गंभीर गैरकानूनी होने के साथ साथ राज्य सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है। अतः प्रार्थीया का यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 177 आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थीया का स्वीकार कर भूमिधारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया था कि अप्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी मौजा खाम्बल तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 23 के खसरा नंबर 91 रकबा 0.7500 हेक्टेयर किस्म बंजर मेसे 0.4000 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थीयार द्वारा उक्त गैरकृषिक उपयोग होने से अप्रार्थीया को मौके से बेदखल कर कब्जा प्राप्त कर उक्त 0.40 हेक्टेयर आराजी को बिलानाम कर वर्तमान जमाबंदी मे सरकार के खाते मे दर्ज कर पालना रिपोर्ट मय कब्जा प्राप्ति फर्द व जमाबंदी की प्रति इस न्यायालय मे पेश करें। आदेश की पालना में तहसीलदार भूमिधारी सिरोही द्वारा उक्त भूमि खसरा नंबर 91 रकबा 0.40 हैक्टेयर को बिलानाम दर्ज करने की कार्यवाही कर जमाबंदी में अमलदरामद किया।

अप्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 22–12–2017 के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के यहा अपील करने से माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के द्वारा अपील संख्या 10/2018 उनवान अपीलाण्ट श्रीमती उषा पारीक बनाम रेस्पोडेण्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही मे दिनांक 5–8–2019 को निर्णय पारित कर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर इस न्यायालय के उक्त प्रकरण संख्या 68/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 22–12–2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलाण्ट को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाकर मौके की पुनः जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के उक्त निर्णय मे दिये गये निर्देशों की पालना मे विचाराधीन प्रकरण को इस न्यायालय मे दिनांक 23–9–2019 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दौराने सुनवाई प्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार [illegible] अप्रार्थीया की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह आढा उपस्थित हुये। न्यायालय मे इस प्रकरण की सुनवाई [illegible] दिनांक 17–2–2020 को अप्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीया का [illegible] भूमि खसरा नंबर 91 पर कुछ मेटेरियल पडा था जिसे आज दिनांक 17–2–2020 [illegible] दिया है। मौके पर किसी प्रकार का कोई मेटेरियल नही है। अतः अप्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों की सत्यता की जांच हेतु न्यायालय मौके की वर्तमान वस्तुस्थिति की मौका जांच रिपोर्ट नायब तहसीलदार कालन्द्री से

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

मंगवाना उचित समझने से इस न्यायालय द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 431 दिनांक 27–2–2020 द्वारा पत्र लिखकर वांछित मौका जांच रिर्पोट शीघ्र इस न्यायालय मे भेजने हेतु नायब तहसीलदार कालन्द्री को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों की पालना मे नायब तहसीलदार कालन्द्री ने उनके पत्र क्रमांक स्पे.1 दिनांक 24–8–2020 के संलग्न संयुक्त मौका जांच रिपोट संबंधित पटवारी हल्का खाम्बल व उपतहसीलदार कालन्द्री की रूबरू अप्रार्थी की मौका फर्द दिनांक 19–8–2020 इस न्यायालय में दिनांक 24–8–2020 को पेश कर अवगत कराया कि मौके पर हमराह पटवारी हल्का खाम्बल, खातेदार के पति शिवकुमार पारीक एवं उनके बडे पुत्र वरूण पारीक एव अन्य मौतबिरान के रूबरू मौका देखा गया। मौके पर खसरा नंबर 91 रकबा 0.75 हैक्टेयर भूमि मे किसी भी क्रेशर की कंकरीट एवं मेटेरियल मौके पर नही पडा है। मौके पर भूमि खाली पडी है। वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 91 के दो खसरे नये बने है जो कि खसरा नंबर 1512/91 रकबा 0.40 हैक्टेयर बिलानाम दर्ज है एवं खसरा नंबर 1513/91 रकबा 0.35 हैक्टेयर है जो उषापारीक पत्नि शिवकुमार पारीक हि.पूर्ण जाति ब्राहाण शान्तिनगर सिरोही खातेदार दर्ज है। इस प्रकार दोनो रकबा मिलाकर 0.75 हैक्टेयर भूमि है। अप्रार्थीया उषा पारीक के पति एवं पुत्र ने बताया कि दिनांक 17–2–2020 को सारी सामग्री मौके से हटा दी गई थी। अतः अब विवादित खसरा नंबर की भूमि पर कोई सामग्री नही है।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 31–8–2020 को प्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार तथा वकील अप्राथी दौराने सुनवाई हाजिर है। नायब तहसीलदार कालन्द्री के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक स्पे.नं.1 दिनांक 24–8–2020 के संलग्न उक्त वर्णित मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 19–8–2020 को प्रार्थी स्टेट पैरोकार तथा वकील अप्रार्थी को अवलोकन करवाने के बाद शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी स्टेट पैरोकार तथा वकील अप्रार्थी द्वारा आज ही इस प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अ.धा. 177 आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर गंभीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया।

प्रकरण में माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.12.2017 को अपास्त किया जा चुका है। वर्तमान में नायब तहसीलदार कालन्द्री की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.8.2020 अनुसार मौके पर कोई सामग्री नहीं पडी है एवं भूमि खाली पडी है। अप्रार्थी द्वारा कोई स्थायी निर्माण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र पेश करने का जो कारण तत्समय रहा है, वो वर्तमान में Exist नहीं करता है। मौके पर भूमि पूर्वानुसार खाली पायी जाने से न्यायालय यह उचित समझता कि मात्र बिना जानकारी कंक्रीट डाले जाने का कृत्य कारित करने के आधार पर, जो वर्तमान में हटा ली गई है, खातेदारी अधिकारों का अंत किया जाना न्याय के नैसर्गिक नियमों की विपरित होगा। अतः उक्त आधार पर तहसीलदार सिरोही का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वर्तमान में पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में कृषि भूमि का बिना रूपांतरण करवाये अकृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग न करे। पुनः अवहेलना पाये जाने पर तहसीलदार सिरोही (भूमिधारी) कार्यवाही के लिये स्वतंत्र है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हॅसमुख कुमार)
सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 26.11.20 हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ)
सिरोही

सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)

सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०) सत्यमेव जयते